



### संबद्ध अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि का सारांश - निदेशकों का चुनाव

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ई) में निहित धारा 3 के खंड (सी) के उप सेक्शन (2बी) में अंतर्गत जारी पूंजी की सीमा तक शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा यूको बैंक सामान्य (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2003 शेयरधारकों की जानकारी के लिए नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

#### बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध – धारा 16(1)

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी, जो अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो।

#### ऋण धारा अग्रिम के संबंध में प्रतिबंध- धारा 20

1. निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम स्वीकृत करने के लिए कोई बैंकिंग कंपनी प्रतिबद्ध नहीं होगी:

- (i) अपने किसी निदेशक को,
- (ii) ऐसी कोई फर्म जिसमें इसके किसी निदेशक का एक साझेदार, प्रबन्धक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित है, अथवा
- (iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा जिसकी होल्डिंग कंपनी की बैंकिंग कंपनी जिसमें वह कोई निदेशक, प्रबन्धक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता है अथवा जिसमें उसका पर्याप्त हित है, अथवा
- (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझेदार अथवा गारंटीदाता है।

#### बैंककारी अधिनियम (अपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मताधिकार के संबंध में प्रतिबंध

धारा 3 (2ई) तदनुसारी नए बैंक का कोई शेयरधारक केंद्रीय सरकार के अलावा अपने द्वारा धारित किन्ही शेयरों के बदले में तदनुसारी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा।

#### निदेशक मण्डल का गठन

धारा 9(3)(i) जहां पूंजी धारा 3 की उपधारा 2 (बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गयी है:

- (I) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक,
- (II) सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु, कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, तो दो निदेशक,
- (III) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, केंद्रीय सरकार से इतर, शेयरधारकों द्वारा अपने में से तीन निदेशक चुने जाएंगे।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे, जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है।

यह भी प्रावधान है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून ( संशोधन ) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ में या उससे पहले निर्वाचित निदेशक की संख्या, तदनुसारी नए बैंक में उप खंड (I) या उप खंड (II) या उप खंड (III), जैसा भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारम्भ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक योजना में दर्शाये गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदयित्वों से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पात्र नहीं होंगे।



### **Extracts of Relevant Acts, Scheme and Regulations etc. - Election of Directors**

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

#### **Banking Regulation Act, 1949**

##### **Prohibition of common Directors- Section 16(1)**

No banking company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors any person who is a Director of any other banking company.

##### **Restrictions on loans and advances - Section 20**

1. No banking company shall enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
  - (i) any of its Directors,
  - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as Partner, Manager, Employee or Guarantor, or
  - (iii) any company (not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a government company of which (or the subsidiary of the holding company of which) any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or Guarantor or in which he holds substantial interest, or
  - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor

#### **The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970**

##### **Restrictions on voting rights**

**Section 3(2E):** No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten percent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

Composition of the Board of Directors

**Section 9(3)(i):** Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of section (3) is-

- (I) not more than sixteen per cent of the total paid-up capital, not more than one director;
- (II) more than sixteen per cent but not more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than two directors,
- (III) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, not more than three directors, to be elected by the shareholders, other than the Central Government, from amongst themselves:

PROVIDED that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the scheme.

PROVIDED FURTHER that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006 in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.



**धारा 9(3ए) :** उक्त खंड (i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक

(अ) निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होने चाहिए

(i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(ii) बैंकिंग

(iii) सहकारिता

(iv) अर्थशास्त्र

(v) वित्त

(vi) विधि

(vii) लघु उद्योग

(viii) विशेष ज्ञान संबंधी अन्य कोई विषय एवं व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक की राय में संबन्धित नए बैंक के लिए उपयोगी है।

(आ) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों, अथवा

(इ) किसानों, कामगारों, एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों,

**धारा 9(3एए)** उपधारा 3(ए) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस अधिनियम अथवा इस समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि में समाविष्ट किसी प्रावधान के विपरीत हुए बिना कोई भी व्यक्ति उप धारा (3) उनके खंड (i) के तहत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह व्यक्ति ट्रेक रिकॉर्ड, ईमानदारी और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित ऐसे अन्य मानदंडों के आधार पर उपयुक्त एवं समुचित हैसियत न रखता हो।

**धारा 9(3एबी)** भारतीय रिजर्व बैंक उपधारा (3एए) के अधीन जारी अधिसूचना में उपयुक्त एवं समुचित हैसियत संबंध निर्धारण का प्राधिकार, ऐसे निर्धारण कि पद्धति, ऐसे निर्धारण के अनुपालन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं अन्य ऐसे मामले जिन्हें आवश्यक अथवा प्रासंगिक समझा जाए, विनिर्दिष्ट भी कर सकता है।

**धारा 9(3बी)** जहां भारतीय रिजर्व बैंक कि यह राय है कि उपधारा (3) के खंड (i) के तहत तदनुरूपी नए बैंक का निर्वाचित कोई निदेशक उपधारा 3(ए) एवं 3(एए) कि अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है, तो ऐसे निदेशक और बैंक को सुनवाई का समुचित अवसर दिये जाने के बाद, वह आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाये जाने पर, निदेशक मण्डल उपधारा 3(ए) एवं 3(एए) कि अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर तब तक के लिए निदेशक के रूप में चयन करेगा जब तक कि तदनुरूपी नए बैंक के शेरधारकों द्वारा आगामी असाधारण आम बैठक में एक निदेशक को विधिवत निर्वाचित समझा जाएगा।

**सत्यनिष्ठा और गोपनीयता का दायित्व:**

**धारा 13(2) :** प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति का सदस्य, अथवा तदनुरूपी नए बैंक का लेखापरीक्षक, परामर्शदाता, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, अपने कर्तव्य का दायित्व संभलने से पहले तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट फार्म में सत्यनिष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेगा।

**राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंधन एवं विविध प्रावधान ) योजना, 1970**

निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल

**खंड 9(4)**

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और वह पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा।

बशर्त ऐसा निदेशक निरंतर छह वर्ष से अधिक कि अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

**निदेशकों की अपात्रता :**

**खंड 10**

कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अपात्र होगा-

(क) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने उधारदाताओं का भुगतान रोके रखा हो या बढ़ाया हो, अथवा

(ख) यदि उसे विकृत दिमाग का पाया गया हो अथवा उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा



**Section 9(3A):** The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely,-
  - (i) agricultural and rural economy,
  - (ii) banking,
  - (iii) co-operative,
  - (iv) economics,
  - (v) finance,
  - (vi) law,
  - (vii) small scale industry,
  - (viii) any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank, be useful to the corresponding new bank;
- (B) represent the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.

**Section9 (3AA):** Without prejudice to the provisions of sub section (3A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as director under clause (i) of sub section (3) unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

**Section9(3AB):** The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub section (3AA), the authority to determine the fit and proper status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

**Section9(3B):** Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-sections (3A) and (3AA), it may, after giving to such Director and the bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-sections (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next annual general meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a Director.

**Obligations as to fidelity and secrecy.**

**Section 13(2):** Every Director, member of a local Board or a committee, or Auditor,

Adviser, officer or other employee of a corresponding new bank shall, before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

**Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970**

**Term of office of elected Director**

**Clause 9(4):**

An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

**Disqualification of Directors**

**Clause 10:**

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a director -

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court; or



- (ग) यदि उसे फ़ौजदारी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जो नैतिक चरित्रहीनता से जुड़ा हो, अथवा
- (घ) यदि वह, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी) बैंक अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक के तहत लाभ का पद धारण करता है/करती है, सिवाय इसके कि वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (ई) और (एफ़) के तहत समरूपी नए बैंक के कर्मचारियों में से नामित पूर्ण कालिक निदेशक, इसमें प्रबंध निदेशक तथा निदेशक भी शामिल हैं, का पद धारण करता है/करती है।

### निदेशकों के पद रिक्त होना

#### खंड 11 :

1. यदि कोई निदेशक, खंड 10 में विनिर्दिष्ट किसी अपात्रता के अध्यक्षीन अथवा निदेशक मण्डल की पूर्व अनुमति के बिना उसकी तीन से अधिक बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपने पद को रिक्त कर दिया है। परिणामस्वरूप उसका पद रिक्त हो जाएगा।
2. अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक अथवा अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) अथवा खंड (सी) में निर्दिष्ट निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित में त्यागपत्र का नोटिस देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसे त्यागपत्र को उस सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने पद रिक्त कर दिया है; और कोई अन्य निदेशक केंद्रीय सरकार को अपने त्यागपत्र का नोटिस लिखित में देते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और केंद्रीय सरकार से त्यागपत्र कि सूचना प्राप्त होने पर त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा।
3. पूर्वोक्त उप खंडों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड सी 1 (ई) अथवा खंड (एफ़) में संदर्भित निदेशक का पद, जिस राष्ट्रीयकृत बैंक का वह निदेशक है उसका एक कार्मिक अथवा कार्मिक से इतर का एक कर्मचारी नहीं रह जाने पर उस पद को खाली माना जाएगा।
4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक कोई पद रिक्त होता है, तो वह पद अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसूच भरा जाएगा।

### निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

#### खंड 11ए:

केंद्रीय सरकार के अलावा ऐसे शेरधारक, जिनकी सकल धारिता उनके द्वारा धारिता शेर्यर पूंजी के आधे से कम नहीं है तो धारा 9 की उप धारा (3) के खंड (i) के तहत वे बहुमत से पारित संकल्प द्वारा किसी निर्वाचित निदेशक को पद से हटा सकते हैं और रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

### निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

#### खंड 11 बी:

1. जहां निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई पद रिक्त होता है, तो रिक्त पद को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।  
बशर्तें जहां रिक्त पद की अवधि 6 माह से कम होने की संभावना हो, रिक्त पद को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकता है।
2. कोई व्यक्ति जो निर्वाचित अथवा विकल्पित है, जैसी भी स्थिति हो, उपखंड (1) के तहत अपने पूर्ववर्ती कार्य की अवधि के असमाप्त भाग के लिए पद धारण करेगा।

### निदेशकों द्वारा हित प्रकटीकरण :

#### खंड 12 (बी)

निदेशक जो राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या की ओर से किए गए अथवा किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी संविधा, ऋण, प्रबंध अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है अथवा उसमें उसका हित है, संबद्ध परिस्थितियाँ उसकी जानकारी में आने के पश्चात यथाशीघ्र अपने हित की प्रकृति को निदेशक मण्डल में प्रकट करेगा और जब ऐसी संविधा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव के बारे में निदेशक मण्डल में चर्चा की जाएगी, वह निदेशक मण्डल की बैठक में, जब तक कि उस प्रयोजन के लिए सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति अपेक्षित न हो, उपस्थिति नहीं रहेगा।



- (c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral
- (d) If he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any subsidiary bank as defined in section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the managing director and directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the corresponding new bank.

#### **Vacation of office of directors**

##### **Clause 11:**

- (1) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in Cl.10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- (2) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director referred to in Cl. (b) or Cl. (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office: any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- (3) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-clauses, the office of the director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the director ceases to be a workman or an employee, other than a workman of the nationalized bank of which is a director.
- (4) Where any vacancy occurs in the office of a director, other than an elected director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

#### **Removal from office of an elected Director**

##### **Clause 11A**

The shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under Cl. (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

#### **Filling of vacancy in the office of an elected Director**

##### **Clause 11B**

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election:  
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub-clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

#### **Disclosure of interest by Directors**

##### **Clause 12(8):**

A director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the nationalized bank shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other directors for the purpose of eliciting information and no director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:



परंतु इस उपधारा में समाहित कुछ भी, ऐसे निदेशकों पर मात्र निम्नलिखित होने के कारण लागू नहीं होगा:

- (i) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथा परिभाषित सार्वजनिक कंपनी अथवा भारत में फिलहाल लागू विधि द्वारा अथवा विधि के तहत स्थापित किसी निगम अथवा किसी सहकारी समिति, जिसके साथ अथवा जिसकी ओर से राष्ट्रीयकृत बैंक ने संविदा, ऋण, प्रबंध अथवा प्रस्ताव किया है अथवा करने वाला है, में किसी शेयरधारक (निदेशक के अलावा) कि धारिता, प्रदत्त पूंजी के 2 प्रतिशत से अधिक नहीं है।
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक का अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी, यदि वह निदेशक है अधिनियम की धारा 9 की प्रदत्त उपधारा (3) के खंड (ई) अथवा खंड (एफ़) में विनिर्दिष्ट।

### यूको बैंक (शेयर एवं बैटक ) विनियम 2003

#### संयुक्त धारकों के अधिकार का इस्तेमाल :

##### विनियम 10 :

यदि शेयर दो अथवा दो से अधिक के नाम पर है तो रजिस्टर में दर्ज प्रथम व्यक्ति मतदान, लाभांश प्राप्ति, नोटिस और शेयरों के अंतरण को छोड़कर यूको बैंक से संबन्धित सभी अथवा अन्य किसी मामले के बारे में शेयरों का एकल धारक समझा जाएगा।

#### आम बैठकों में निदेशकों का चुनाव

##### विनियम 63 :

- (i) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत जिनका नाम रजिस्टर पर है ऐसे केंद्रीय सरकार से भिन्न शेयर धारकों द्वारा, बैंक की आम बैठक में उनमें से निदेशक चुना जाएगा।
- (ii) जहां किसी आम बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो उससे संबन्धित नोटिस, बैठक के आयोजन से संबद्ध नोटिस में सम्मिलित होगा। ऐसे नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या तथा जिनके संबंध में चुनाव होना है उन रिक्त पदों से संबन्धित विवरण दर्शाये गए होने चाहिए।

#### शेयर धारकों की सूची :

##### विनियम 64 :

- (i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अंतर्गत निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से रजिस्टर से उन शेयरधारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव होगा।
- (ii) सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके पास शेयरों की संख्या तथा शेयर का पृथक क्रमांक, उस तारीख सहित जिस दिन वह पंजीकृत किए गए थे तथा बैठक के लिए निर्धारित वह दिनांक जिस पर चुनाव होगा, मताधिकार की संख्या जिनके वे हकदार होंगे तथा बैठक की निर्धारित तिथि से 3 सप्ताह पूर्व शेयरधारकों की सूची की प्रतियां उस मूल्य पर खरीदने के लिए उपलब्ध रहेगी, जैसकि बोर्ड या प्रधान कार्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

#### चुनाव हेतु उम्मीदवारों का नामांकन :

##### विनियम 65 :

- (i) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि :
- (क) वह यूको बैंक का शेयर धारक न हो और उसके पास 100 (एक सौ) से कम शेयर न हो।
- (ख) वह नामांकन प्राप्त होने कि अंतिम तारीख को उक्त अधिनियम या योजना के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य न हो।
- (ग) उसके द्वारा धारित बैंक के सभी शेयरों चाहे उसके एकल नाम पर हों अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से हों, से संबन्धित मांग की राशि का भुगतान निर्धारित अंतिम तिथि तक या इससे पहले कर दिया गया हो।
- (घ) उक्त अधिनियम के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा यथाविधि गठित उनके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्त किसी शेयरधारक जो एक कंपनी हो, द्वारा किया गया नामांकन, उसके निदेशकों द्वारा पारित किए गए संकल्प के अनुसार किया गया हो और जिस बैठक में इसे पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की एक प्रति, यूको बैंक के प्रधान कार्यालय को भेजी गयी हो तो ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से नामांकन समझा जाएगा।



Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such director by reason only of his being-

- (i) a shareholder (other than a director) holding not more than two percent of the paid-up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any cooperative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made or proposed to enter into or make a contract, loan, arrangement or proposal, or
- (ii) an officer or other employee of the nationalized bank, if he is a director referred to in Cl. (e) or Cl. (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

### **UCO Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003**

#### **Exercise of rights of joint holders**

##### **Regulation 10:**

If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with UCO Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

#### **Directors to be elected at general meeting**

##### **Regulation 63**

- i. A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
- ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

#### **List of shareholders**

##### **Regulation 64**

- i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

#### **Nomination of candidates for election**

##### **Regulation 65.**

- i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
  - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in the Bank.
  - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
  - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call,
  - d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be done by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of UCO Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.





- (ड) नामांकन के साथ अथवा नामांकन में प्रत्याशी द्वारा न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा एशयोरेंस के उप-रजिस्ट्रार के समक्ष अथवा किसी अन्य राजपत्रित अथवा भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और चुनाव में खड़े होने के लिए इच्छुक है और वह उक्त अधिनियम अथवा योजना अथवा इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (च) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं माना जाएगा तब तक कि वह सभी प्रकार से पूर्ण संबन्धित दस्तावेजों के साथ प्रधान कार्यालय में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पूर्व प्राप्त न हो जाए।

#### नामांकन की जांच :

##### विनियम 66:

- नामांकन प्राप्त होने कि निर्धारित तिथि के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसके लिए कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि चुनाव के जरिये किसी विशेष रिक्त पद को भरने के लिए केवल एक वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसका नाम तथा पता निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी अवस्था में चुनाव के प्रयोजन के लिए आयोजित बैठक स्थल पर कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उक्त चुनाव के प्रयोजन मात्र के लिए ही आयोजित की गई हो तो इसे निरस्त समझा जाएगा।
- चुनाव होने की अवस्था में, यदि नामांकनों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो, तो बहुमत प्राप्त प्रत्याशी को निर्वाचित समझा जाएगा।
- मौजूदा रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचित निदेशक को निर्वाचन/निर्वाचित समझे जाने की तिथि के अगले दिन से पदभार ग्रहण किया हुआ समझा जाएगा।

#### चुनाव विवाद :

##### विनियम 67 :

- यदि निर्वाचित समझे जाने वाले अथवा निर्वाचित घोषित किए गए किसी व्यक्ति की योग्यता अथवा अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में विवाद पैदा होता है, तो प्रत्याशी होने के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति अथवा ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए हकदार शेरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम के घोषित होने की तिथि के 7 दिनों के भीतर उसकी सूचना लिखित रूप में बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को दे सकता है और उक्त सूचना में उन कारणों का पूर्ण विवरण देगा जिसके आधार पर चुनाव की वैधता के बारे में उसे संदेह अथवा विवाद है।
- उप विनियम (i) के तहत सूचना प्राप्त होने पर बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह अथवा विवाद पर निर्णय हेतु अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्ही दो निदेशकों के साथ गठित समिति को संदर्भित कर सकते हैं।
- उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जांच करेगी और यदि समिति यह पाती है कि चुनाव वैध था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि वह पाती है कि चुनाव एक वैध नहीं था तो वह जांच आरंभ होने के 30 दिनों के भीतर, परिस्थितियों के अनुसार नया चुनाव करने सहित ऐसे आदेश और ऐसे निर्देश जारी करेगी जो समिति को उचित लगे।
- इस विनियमन के अनुसरण में समिति के आदेश और निदेश अंतिम होंगे।

#### शेरधारकों के मताधिकार :

##### विनियम 68 : मताधिकार का निर्धारण :

- अधिनियम कि धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, ऐसा प्रत्येक शेरधारक, जो आम सभा की तिथि के पूर्व रजिस्टर के बंद होने की तिथि पर शेरधारक के रूप में पंजीकृत हो चुका है, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत तथा निर्वाचन होने की अवस्था में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेर के लिए एक मत देने का हकदार होगा।



- e) The nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- f) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head Office of UCO Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

### Scrutiny of nominations

#### Regulation 66:

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected in such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polled the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be elected.

### Election disputes

#### Regulation 67:

- i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Managing Director & CEO of UCO Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Managing Director & CEO or in his absence, the Executive Director (s) of UCO Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Managing Director & CEO or in his absence, the Executive Director(s) and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii. The Committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such an enquiry as deemed necessary and if it finds that the election was valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not valid election, it shall, within 30 days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of the fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

### Voting Rights of Shareholders

#### Regulation 68: Determination of voting rights

- i. Subject to the provisions contained in Section 3(2E) of the Act, each shareholder has been registered as a shareholder on the date of the closure of Register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.



- ii. अधिनियम की धारा 3 (2-ई) में निर्दिष्ट प्रावधान के अनुसार, उपरोक्तानुसार मत देने के लिए हकदार प्रत्येक शेयरधारक जो एक कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत अथवा परोक्षी के माध्यम से उपस्थित है अथवा जो कंपनी के नाते विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी के माध्यम से उपस्थित है, हाथ उठाकर मत देने की अवस्था में एक मत और उपरोक्त उपविनियम (i) में बताए अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत देने के लिए हकदार होगा। व्याख्या : इस अध्याय के लिए 'कंपनी' का तात्पर्य कोई भी कॉर्पोरेट निकाय है।
- iii. आम सभा में भाग लेने और मत देने के लिए हकदार बैंक के शेयरधारकों को अपने स्थान पर किसी व्यक्ति (भले ही वह शेयर धारक है या नहीं) को भाग लेने और मत देने के लिए परोक्षी के रूप में नियुक्त करने का हक है परंतु इस प्रकार नियुक्त परोक्षी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

#### विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

##### विनियम 69 :

- i. कोई शेयर धारक, केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी होने नाते संकल्प द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने अधिकारियों में से किसी को अथवा अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी सामनी बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में 'विधिवत 17 प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में संदर्भित) को केंद्र सरकार अथवा कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, की ओर से उन्ही शक्तियों के प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह बैंक का शेयरधारक हो। इस प्रकार प्रदत्त प्राधिकार दो व्यक्तियों के पक्ष में वैकल्पिक रूप में होने चाहिए और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार/कंपनी के विधिवत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. बैंक के शेयरधारकों की बैठक में कोई व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं ले सकता है अथवा मत नहीं दे सकता है जब तक कि जिस बैठक में उसे पारित संकल्प द्वारा विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि बैंक के प्रधान कार्यालय 2, इंडिया एक्स्चेंज प्लेस, कोलकाता – 700001 में बैठक के लिए निर्धारित तिथि से चार दिन पहले जमा न कर दी गई हो।

#### परोक्षी

##### विनियम 70:

- i. वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में परोक्षी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि उसपर उसने अथवा उसके अटॉर्नी ने लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत न किया हो अथवा संयुक्त शेयरधारकों के मामले में रजिस्टर में अंकित प्रथम शेयर धारक अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा अथवा कंपनी निकाय के मामले में उसके अधिकारी अथवा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षर न किया गया हो।  
बशर्त परोक्षी के लिखत को शेयर धारक द्वारा उपयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होना चाहिए परंतु यदि किसी कारण से वह अपना लिखने में असमर्थ है और उसके अंगूठे का निशान लगाया गया है तो यह तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरंस या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।
- ii. कोई भी परोक्षी तब तक वैध नहीं होगा जब तक की उस पर विधिवत मुहर न लगी हुए हो और उसकी प्रति, बैठक की नियत तिथि से चार दिन पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार, यदि कोई हो, जिसके तहत हस्ताक्षर किए गए हों अथवा नोटरी पब्लिक अथवा किसी मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्तारनामे अथवा अन्य प्राधिकार की सत्य प्रतिलिपि के रूप में अभिप्रमाणन के साथ जमा न कर दिया गया हो और साथ ही ऐसा मुख्तारनामा अथवा कोई प्राधिकार बैंक के पास पहले जमा अथवा पंजीकृत न किया गया हो।
- iii. परोक्षी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक की वह फॉर्म 'बी' में न हो।
- iv. बैंक के पास जमा किया गया परोक्षी का कोई भी लिखत अपरिवर्तनीय तथा अंतिम होगा।
- v. वैकल्पिक रूप से दो अभिदाताओं के पक्ष में अभिदत्त परोक्षी के लिखत के मामले में एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- vi. इस विनियम के तहत परोक्षी के किसी लिखत का गारंटर उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने का पात्र नहीं होगा जिससे वह लिखत संबन्धित नहीं है।
- vii. कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रतिनिधि अथवा परोक्षी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो यूको बैंक का अधिकारी अथवा कर्मचारी है।
- viii. परोक्षी फॉर्म में सभी संशोधन विधिवत अधिप्रमाणित होने चाहिए।



- ii. Subject to the provision contained in Section 3(2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on show of hands and in case of poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulation (i) Explanation - for this chapter, "Company" means any Body Corporate.
- iii. Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself, but a proxy appointed shall not have any right to speak at the meeting.

#### **Voting by duly authorized representative**

##### **Regulation 69:**

- i. A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of his officer or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholder and person so authorized (referred to as "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the company which he represents, as if he were an individual shareholder of UCO Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any of such persons may act as duly authorized representative of the Central Government/Company.
- ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office, 2, India Exchange Place, Kolkata - 700 001 of UCO Bank not less than 4 days before the date fixed for the meeting.

#### **Proxies**

##### **Regulation 70:**

- i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by an officer or an attorney duly authorized in writing.  
Provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge or Magistrate or Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Govt. Gazetted Officer or Officer of UCO Bank.
- ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of UCO Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a Power of Attorney or other authority is previously deposited and registered with UCO Bank.
- iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B".
- iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- vi. The granter of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person in the Extra ordinary General Meeting to which such instruments relates.
- vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of UCO Bank.
- viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.



### भारतीय रिज़र्व बैंक के 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3-एए) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना डीबीओसी बीसी स. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवम्बर, 2007 जारी की है, जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के निदेशक मण्डल में निर्वाचित हुए व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

#### अधिसूचना की प्रमुख विशेषताएं :

'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति आदि का निर्णय करने संबंधी प्राधिकार, पद्धति/प्रक्रिया एवं मानदंड निम्नानुसार है :

- (ए) **प्राधिकार** : सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक 'नामांकन समिति' का गठन करें जिसमें निदेशक मण्डल से (सभी स्वतंत्र/गैर-कार्यपालक निदेशक) न्यूनतम तीन निदेशक शामिल हों। निदेशक मण्डल द्वारा उनमें से एक निदेशक को नामांकन समिति का अध्यक्ष नामित करना चाहिए। कोरम में अध्यक्ष को मिलकर तीन सदस्य होने ज़रूरी हैं। यदि नामित व्यक्तियों में से कोई अनुपस्थित रहता है तो निदेशक मण्डल उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को आगामी बैठक के लिए नामित कर सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय बोर्ड इसकी अवधि का भी निर्धारण कर सकता है।
- (बी) **पद्धति एवं प्रक्रिया** : नामांकन समिति को उक्त अधिनियम धारा 9 (3)(i) के तहत मौजूदा चुने हुए निदेशक/निदेशकों के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उचित एवं समुचित' स्थिति का निर्धारण करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए बैंकों को संलग्न फॉर्मेट में (अनुबंध-1 में) मौजूदा चुने गए निदेशकों/निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्ति से आवश्यक सूचना एवं घोषणा प्राप्त कर लेनी चाहिए। नामांकन समिति को चुने जाने वाले व्यक्तियों के मामले में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से पहले बैठक करनी चाहिए और निर्णय करना चाहिए कि निम्नांकित मानदंडों के आधार पर निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाए या नहीं। समिति के विचार विमर्श को औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में रिकॉर्ड में दर्ज़ किया जाना चाहिए और यदि मौजूदा तथा नए निदेशकों के संबंध में वोटिंग हुए तो उसे भी नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई सूचना के आधार पर नामांकन समिति को प्रत्याशी की स्वीकृति या अन्यथा रूप में निर्णय करना चाहिए तथा जहां कहीं आवश्यक हो समुचित प्राधिकारी/व्यक्तियों के समक्ष अभिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
- (सी) **मानदंड** : नामांकन समिति को चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशियों की 'उपयुक्त एवं समुचित' स्थिति का निर्धारण निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर करना चाहिए :

- (i) शैक्षणिक योगिता
- (ii) अनुभव तथा विशेषज्ञता का क्षेत्र
- (iii) ट्रैक रिकार्ड तथा निष्ठा

(उपरोक्त सूची उदाहरणस्वरूप है, व्यापक नहीं)

नामांकन समिति को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उपरोक्त मानदंडों में से किसी के अनुपालन न होने से चुने हुए मौजूदा निदेशकों/प्रस्तावित प्रत्याशी को बैंक के निदेशक के रूप में अपने कार्य दायित्व का निर्वाह करने में रुकावट होगी। इसी क्रम में किसी प्राधिकारी/विनियामक निकाय को प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने या किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण की अदायगी में चूककर्ता या दिवालिया होने पर संबंधित उम्मीदवार को बैंक के निदेशक मण्डल में निदेशक होने के लिए अयोग्य एवं अनुचित माना जाएगा।

- (डी) **अन्य मामले** : यह वांछनीय है कि जनहित में यह सुनिश्चित किया जाए कि चुने हुए निदेशकों द्वारा हमारे परिपत्र सं. डीबीओसी.सं. बीसी 116/08.139.001/2001-02 दिनांक 20 जून, 2002 के अनुसार डॉ. गांगुली समूह द्वारा की गई सिफ़ारिश तथा 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रत्येक वर्ष प्रसंविदा विलेख निष्पादित किया जाए (तत्काल संदर्भ हेतु अनुबंध-2 संलग्न किया गया है)।



### Guidelines issued by RBI on "Fit and Proper" Criteria

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub sections Annexure (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOC BC No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of Banks under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

### Salient Features of the Notification

The authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'fit and proper' status etc. is as under:

- (a) **Authority:** All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.
- (b) **Manner and procedure:** The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act *ibid*. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.
- (c) **Criteria:** The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder
  - (i) Educational qualification
  - (ii) Experience and field of expertise
  - (iii) Track record and integrity
 (The above list is only illustrative and not exhaustive).

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

- (d) **Other matters:** It is desirable that the board ensures, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (copy enclosed for ready reference -Annexure-2) as recommended by the Dr Ganguly Group vide our circular DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.



यह भी बाध्यकारी है कि सभी निर्वाचित निदेशकों द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को एक साधारण घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाए कि जो सूचना उन्होंने पहले प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और जहां भी कोई परिवर्तन हुआ है, वहां निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तुरंत प्रस्तुत कर दिए गए हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है तो समिति को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए तथा निदेशक की 'उपयुक्त तथा समुचित' स्थिति का पुनरीक्षण करना चाहिए।

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/आरबीआई/बीमा कंपनियों में गैर – सरकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड**

- संदर्भ : 1. एफ.नं.16/83/2013-बीओ.आई ऑफ डीएफएस,एमओएफ, जीओआई, दिनांक 03 सितंबर, 2013  
 2. एफ.नं.16/51/2012-बीओ.आई ऑफ डीएफएस, एमओएफ, जीओआई, दिनांक 20 जुलाई 2016  
 3. एफ.नं.16/51/2012-बीओ.आई ऑफ डीएफएस, एमओएफ, जीओआई, दिनांक 28 अप्रैल 2015

**(अ) अनुभव के मानदंड :**

सरकारी क्षेत्र के बैंकों/आरबीआई/वित्तीय संस्थाओं/सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा कंपनियों के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित श्रेणियों में विचार किया जाएगा :

- क) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव के साथ श्रेष्ठता वाले व्यक्तियों पर आमतौर से विचार किया जाएगा। वरिष्ठ स्तर पर 20 वर्षों के उद्योग के अनुभव,संबन्धित क्षेत्र में विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया या एक असफल संगठन में बदलाव लाया) पसंदीदा होगा।
- ख) सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारी 20 वर्षों का कुल अनुभव और संयुक्त सचिव और उपरोक्त स्तर पर न्यूनतम 10 वर्षों के अनुभव के साथ। सेवानिवृत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यकारी निदेशकों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा, जिसमें से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। किसी अन्य सरकारी क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में सरकारी क्षेत्र के बैंक के कार्यरत अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- ग) प्रतिष्ठित प्रबंधन बैंकिंग संस्थान के अकादमिक निर्देशकों और प्रोफेसरों का अनुभव 20 वर्षों से अधिक का होना चाहिए।
- घ) 20 वर्षों के अनुभव (ऑडिट अनुभव को छोड़कर) वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स पर भी विचार किया जाएगा।

**(आ) शैक्षणिक योग्यता के मानदंड :**

एक गैर-सरकारी निदेशक को कम से कम वरीयतः व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और सूचना प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए।

**(इ) उम्र के मानदंड :**

खोज समिति (Search Committee) की संस्तुति की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

**(ई) कार्य अनुभव के मानदंड :**

पेशेवर व्यक्तियों / शिक्षाविदों को उनके अपने विशिष्ट क्षेत्र में 20 वर्षों का कार्य अनुभव होना चाहिए।

**(उ) अयोग्यता के मानदंड :**

(क) पहले से किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी में किसी भी श्रेणी के निदेशक को किसी भी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।



It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

**Criteria laid down by the Government for consideration as non-official Director in Public Sector Banks/FIs/RBI/Insurance Companies**

**Ref. 1.** F.No.16/83/2013-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 3rd September, 2013

2. F.No.16/51/2012-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 20th July, 2016

3. F.No.16/51/2012-BO.I of DFS, MoF, GOI dated 28th April, 2015

**A) Criteria of Experience**

The following categories of persons will be considered for appointment of Part-time Non-Official Director on the Boards of Public Sector Banks/Reserve Bank of India/Financial Institutions/Public Sector Insurance Companies :

- a) Persons of eminence with special academic training or practical experience in the field of agriculture, rural economy, banking, co-operation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (Successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as Non Official Director on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as Non Official Director on the Board of any other PSB.
- c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years' experience.
- d) Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

**B) Criteria of Educational Qualification**

Non-official Director should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

**C) Criteria of Age**

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

**D) Criteria of Work Experience**

Professionals/Academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

**E) Criteria of Disqualification**

- a) A Director already on a Bank/Financial Institutions (FIS)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as Non-official Director in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.





- (ख) किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य और शेयर दलालों को बैंकों/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनियों के बोर्डों पर गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टा एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि इन कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है।
- (ग) किसी भी व्यक्ति को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में फिर से नामित किया जा सकता है, जिस पर उसने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पिछले दो कार्यकाल या छह साल, जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक के रूप में सेवा की है।

**(ऊ) कार्यकाल का मानदंड :**

एक गैर-सरकारी निदेशक को बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि ऐसा निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक/शेयरधारक निदेशक के रूप में छह वर्षों के लिए लगातार या आवधिक रूप में कार्यरत है।

**(जी) व्यावसायिक प्रतिबंध :**

- यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी भी सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- यदि कोई चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षक या समवर्ती लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है, तो उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म का कोई भी भागीदार उस बैंक में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

**अधिसूचना : भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनियमन विभाग**

डीबीआर. एपीटीटी. बीसी. नं.38/29.39.001/2016-17

डीबीआर. एपीटीटी. बीसी. न.39/29.39.001/2016-17 नवम्बर 24, 2016

**बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव**

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2)(ए)(ix), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(1)(ए)(viii), भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंकों) अधिनियम, 1959 की धारा 25ए(1)(ए)(viii) और बैंकिंग कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए)(viii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय की अधिसूचना जारी किया है कि (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव बैंकिंग कंपनी, भारतीय स्टेट बैंक, अनुषंगी बैंक और समवर्ती नए बैंक, जैसी भी स्थिति हो, के लिए उपयोगी होगा।



- b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as Non-official Directors on the Boards of Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as Non-official Director, if they are not having any managerial control in such companies.
- c) No person may be re-nominated as Non-official Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

**F) Criteria of Tenure**

A Non-official Director would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a Non-official Director/Shareholder Director on the Board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

**G) Professional Restriction**

- i) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-official Director in any Nationalized Bank/PSB.
- ii) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-official Director in the same Bank.

**NOTIFICATION : RESERVE BANK OF INDIA, DEPARTMENT OF BANKING REGULATION**

DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17

DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17      November 24, 2016

**Special knowledge or practical experience useful to banking companies**

In exercise of the powers conferred by Section 10A(2)(a)(ix) of the Banking Regulation Act, 1949, Section 19A(1)(a)(viii) of State Bank of India Act, 1955, Section 25A(1)(a)(viii) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Section 9(3A)(A)(viii) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980, Reserve Bank of India hereby notifies that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company, State Bank of India, subsidiary bank and a corresponding new bank, as the case may be.